भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या . 347
उत्तर देने की तारीख- 17/03/2026

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास

347. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजनों के कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए कार्यान्वित की जा रही नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित और प्रमाणित दिव्यांगजनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रशिक्षित दिव्यांग अभ्यर्थियों को उद्योगों के साथ गठबंधन (टाइ-अप) प्रशिक्षण के बाद सहायता, सुगम्य आवास और उद्यमिता सहायता सहित दिए गए प्रोत्साहनों, सहायता सेवाओं और नियोजन सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास संबंधी कार्यकलापों को मुख्यधारा के कौशल कार्यक्रमों और अन्य क्षेत्रक-विशिष्ट कौशल मिशनों के साथ एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे कौशल कार्यक्रमों में कार्यरत दिव्यांगजन हितैषी प्रशिक्षण केन्द्रों और भागीदार संस्थानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और इनके वितरण की स्थिति क्या है; और

(च) क्या ग्रामीण और अल्पसेवित जिलों में दिव्यांगजनों के लिए कौशल के अवसरों का विस्तार करने हेतु कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17 मार्च 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, दिव्यांगजन के लिए समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे विभिन्न अधिकार सुनिश्चित करता है और इसमें कौशल विकास और रोजगार पर एक समर्पित अध्याय-IV है। इस अध्याय के तहत धारा 19(1) यह प्रावधान करती है कि समुचित सरकार दिव्यांगजनों के रोजगार, विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार, को सुगम बनाने और उसे समर्थन देने के लिए रियायती दरों पर ऋण के प्रावधान सहित योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी।

यद्यपि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रयासों का समर्थन करती है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत विभिन्न पैनलबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से दिव्यांगजन को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना है, ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके और वे समाज के आत्मनिर्भर, उपयोगी और योगदान देने वाले सदस्य बन सकें।

पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सरकारी समर्थन प्राप्त कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित और प्रमाणित दिव्यांगजनों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

दिव्यांगजनों को वित्तीय प्रोत्साहन जैसे - वाहन भत्ता, निजी सहायक उपकरण भत्ता और प्लेसमेंट के बाद सहायता प्रदान की जाती हैं। विभाग ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन अनिवार्य कर दिया है।

(घ): जी हाँ। दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास हस्तक्षेपों को मुख्यधारा के कौशल कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) मानकों और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा अनुमोदित अर्हता पैक (क्यू पी)/ जॉब रोल का पालन करते हैं।

(ङ): पिछले 5 वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले दिव्यांगजन हितैषी प्रशिक्षण केंद्रों राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(च): ग्रामीण तथा आकांक्षी जिलों में दिव्यांगजनों के लिए कौशल के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ऐसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के लिए प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है और प्रतिभागी प्रशिक्षुओं के लिए आवास / वाहन भत्ता दिया जाता है।

अनुबंध-I

(लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 347, दिनांक 17.03.2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित एवं प्रमाणित दिव्यांगजन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8
2	आंध्र प्रदेश	60	4	90	26	0	0	9	0	0	0
3	असम	22	0	0	0	50	21	24	9	10	8
4	बिहार	197	50	0	0	0	0	14	14	60	56
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	30	27
6	छत्तीसगढ़	114	102	36	30	54	47	10	6	0	0
7	दिल्ली	24	20	494	382	65	52	103	92	65	59
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0	64	46	25	12
9	हरियाणा	1261	1017	1128	859	477	433	30	9	80	48
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	45	30	0	0	10	9	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	219	24	217	86	0	0	235	170	60	33
12	झारखंड	0	0	145	63	18	5	10	8	20	5
13	कर्नाटक	28	24	83	65	157	70	94	63	109	61
14	केरल	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0
15	मध्य प्रदेश	471	301	745	471	387	290	738	544	947	761
16	महाराष्ट्र	0	0	199	159	0	0	200	169	26	21
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
19	ओडिशा	45	20	308	254	86	70	90	66	193	150
20	पंजाब	216	197	804	636	110	39	59	26	0	0
21	राजस्थान	324	232	2208	1622	415	326	570	434	150	130
22	तमिलनाडु	365	328	329	180	50	17	383	338	124	108
23	तेलंगाना	0	0	0	0	38	22	273	250	0	0
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8
25	उत्तर प्रदेश	2268	1685	3619	2525	335	173	72	52	177	172
26	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	226	167
27	पश्चिम बंगाल	571	558	0	0	0	0	55	34	48	29
	कुल	**6185**	**4562**	**10450**	**7388**	**2242**	**1565**	**3053**	**2348**	**2395**	**1883**

अनुबंध-II

(लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 347, दिनांक 17.03.2026 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक)

पिछले 5 वर्षों के दौरान NAP-SDP के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दिव्यांगजन हितैषी प्रशिक्षण केंद्रों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	4
3	असम	2
4	बिहार	7
5	छत्तीसगढ़	2
6	दिल्ली	6
7	गुजरात	4
8	हरियाणा	18
9	हिमाचल प्रदेश	3
10	जम्मू और कश्मीर	28
11	झारखंड	7
12	कर्नाटक	6
13	केरल	1
14	मध्य प्रदेश	63
15	महाराष्ट्र	21
16	मणिपुर	1
17	मेघालय	1
18	ओडिशा	9
19	पंजाब	10
20	राजस्थान	37
21	तमिलनाडु	13
22	तेलंगाना	7
23	त्रिपुरा	1
24	उत्तर प्रदेश	83
25	उत्तराखंड	7
26	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	**349**
